न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2722–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–7–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 518/2009–10/निगरानी.

1– धूलजी पुत्र देवीलाल
2– पार्वतीबाई पत्नी धूलजी
निवासीगण गोरखपुरा जिला राजगढ़
हाल निवासीगण ग्राम अचकलपुर
तहसील राघौगढ़ जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

मोहनप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण
निवासी ग्राम अचकलपुर
तहसील राघौगढ़ जिला गुना .....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिषक, आवेदक
श्री आलोक कटारे अभिषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–7–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, राघौगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–19/2002–03 में दिनांक 11–11–2002 को आदेश पारित कर ग्राम

अचकलपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 41/2 का बटान किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक मोहन प्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि सर्वे कमांक 41/2 की भूमि मन्दिर श्रीराम जानकी की है, जिसका वह पुजारी है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–7–2003 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, गुना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 24–3–2004 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–7–2010 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस भेजा गया कि सम्पूर्ण अभिलेख की जॉच कर यह सुनिश्चित करें कि यह भूमि कैसे मन्दिर के नाम पर दर्ज है, और यदि मन्दिर के नाम पर भूमि है तो खसरे के कॉलम नं. 3 पर नाम दर्ज क्यों नहीं हुआ । सम्पूर्ण जॉच के उपरांत तहसीलदार पुनः नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि कभी भी मन्दिर के नाम से दर्ज नहीं रही है, और तहसीलदार द्वारा विधिवत सम्पूर्ण जॉच की जाकर ही प्रश्नाधीन भूमि का बंटन आवेदकगण के पक्ष में किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा व्यक्ति विशेष को लाभ देने के उद्देश्य से प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय–सीमा के बिन्दु पर आदेश पारित किया गया था, अतः अपर आयुक्त को भी केवल समय–सीमा के बिन्दु पर ही निर्णय करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित

करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि श्रीराम जानकी मन्दिर की भूमि है, जिसे तहसीलदार द्वारा अवैधानिक रूप से बंटित कर दिया गया गया है, इस ओर ध्यान नहीं देकर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण जॉच हेतु प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अपर आयुक्त द्वारा अभी जॉच हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां आवेदकगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है, और वे प्रश्नाधीन भूमि मन्दिर की नहीं होने के तथ्य को प्रमाणित कर सकते हैं । उसके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में देवस्थान दर्ज है, और खसरे कॉलम नं. 12 में संवत् 2033 तक कदीम दर्ज होकर देवस्थान दर्ज रही है । अतः अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है कि यह जॉच की जाना आवश्यक है कि प्रश्नाधीन भूमियां वास्तव में देवस्थान है अथवा नहीं, और यदि देवस्थान की भूमियां है, तब खसरे के कॉलम नं. 3 में मन्दिर का नाम दर्ज होकर प्रबंधक कलेक्टर क्यों दर्ज नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा पुनः विधिवत जॉच करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–7–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर